तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पाबूराम बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार, पीपाड़ शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 307 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-10-2022	अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम निवासी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.07.2022 में (1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल से न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन करने के बाद विभाग उसे कितने दिनों में स्वीकृत करता है (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, पीपाड शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	